न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 25/2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/40

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. **श्री संजय कुमार पटेल पिता श्री भीखचंद धुलजी पटेल निवासी भरडाजाल, रायना, तहसील गढी जिला बांसवाडा** At also – **श्री संजय कुमार पटेल पिता श्री भीखचंद धुलजी पटेल निवासी–सर्वे नं. 217 पट्टा नं. –3 भरडाजाल, रायना तहसील गढी, बांसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता)**
2. **श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री भीखचंद धुलजी पटेल निवासी भरडाजाल, रायना, तहसील गढी जिला बांसवाडा (सह ऋणी)**
3. **श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री नरपत सिंह निवासी–46 ब्राहम्ण मोहल्ला, गांव भरडाकला, रायना तहसील गढी, बांसवाडा (जमानती)**

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 31–05–2022

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– **श्री संजय कुमार पटेल पिता श्री भीखचंद धुलजी पटेल निवासी भरडाजाल, रायना, तहसील गढी जिला बांसवाडा** At also – **श्री संजय कुमार पटेल पिता श्री भीखचंद धुलजी पटेल निवासी–सर्वे नं. 217 पट्टा नं.–3 भरडाजाल, रायना तहसील गढी, बांसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता)** 2– **श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री भीखचंद धुलजी पटेल निवासी भरडाजाल, रायना, तहसील गढी जिला बांसवाडा (सह ऋणी)** 3– **श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री नरपत सिंह निवासी–46 ब्राहम्ण मोहल्ला, गांव भरडाकला, रायना तहसील गढी, बांसवाडा (जमानती)** मे से अप्राथीगण ... को दिनांक 28.09.2016 को 4,20,000 (चार लाख बीस हजार रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की गई थी ... अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय ... पर दिनांक 12.10.2021 ... क्रियान्वित

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

स्वीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 08-06-2021 को कुल बकाया राशि 329073 रू. लाख उन्तीस हजार तिहत्तर रूपया) एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए र्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थी सं. 1 ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में नी अचल सम्पत्ति को रहन किया गया जिसके अन्तर्गत **श्री संजय कुमार पटेल पिता श्री मीखचंद धुलजी** त की **भूमि सर्वे नं. 217, प्लॉट नं. 3, भरडाजाल, रायना, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा जिसका माप 1010** फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके **पूर्व में स्वयं की भूमि रोड, पश्चिम में स्वयं की भूमि, उत्तर में श्री देवीलाल पिता धुलजी देवडा का मकान एवं दक्षिण में नरेश** मचंद जी का मकान स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के र सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस क लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक धिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल गया है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण रफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 10-06-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को रु. 4,20,000 ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 06.05.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नोटिस दिनांक 26.05.2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुए किन्तु अप्रार्थीगण सं 1 व 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 3 उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने अल्प समय चाहा। तत्पश्चात् आज दिनांक तक अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है।

अतः नोटिस बाद तामील प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी सं. 3 को समुचित अवसर प्रदान करने के बावजुद अनुपस्थित रहे है। दिनांक 31-5-2022 को अप्रार्थी सं. 3 का जवाब बंद किया जाता है एवं समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 31–05–2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार सरफेसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 31–05–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:44 IST
Reason: SelfAttested